**अति आवश्यक**

**राजस्थान सरकार**
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

☎ 0141-2227177 ✉ pdengg_rdd@yahoo.com Website: rdprd.gov.in

क्रमांक एफ 27(51) ग्राविवि–5/PMAY-G/प्रगति /2021–22 /पार्ट–2 जयपुर, दिनांक 29 सितम्बर, 2021

**जिला कलक्टर,**
**जिला समस्त।**

**विषयः–"प्रशासन गांव के संग अभियान–2021" के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत पात्र परिवारों को आवास स्वीकृति जारी करने बाबत।**

**प्रसंगः–** विभागीय पत्र दिनांक 11.08.2021, 25.08.2021, 06.09.2021, 07.09.2021, 14.09.2021, 20.9.21 एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 4.8.21

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस सूची के आधार पर विभागीय पत्र दिनांक 11.08.2021 एवं 07.09.2021 के द्वारा ग्राम सभाएं आयोजित कर जिला स्तरीय अपीलेट कमेटी को प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त अंतिम तैयार अनुमोदित वरीयता सूची राज्य स्तर पर स्वीकृति अनुमति हेतु प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस क्रम में योजना के कियान्वयन फ्रेमवर्क के प्रावधान एवं विभागीय पत्र दिनांक 11.8.21 एवं 14.9.21 द्वारा जारी निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये ग्राम संभाओं से अनुमोदन उपरान्त ग्राम पंचायतवार वर्गवार तैयार वरीयता सूचियों के कम में "जिला अपिलेट कमेटी" स्तर से परिवेदनाओं को निस्तारित कर अंतिम वरीयता सूची अविलम्ब "आवास सॉफ्ट" पर अपलोड की जावे। उल्लेखनीय अतः संबंधित ग्राम पंचायतों वरीयता निर्धारित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि समस्त लाभार्थी अपनी – अपनी ग्राम पचांयतों में ही प्रदर्शित है, क्योकि एक बार स्वीकृति प्रकिया प्रारम्भ होने के उपरांत एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में लाभार्थी का नाम हस्तान्तरित नहीं हो सकेगा।

**"प्रशासन गांव के संग अभियान–2021"** के कम में समीक्षा में पाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत जिलों द्वारा शतप्रतिशत ग्राम पंचायतों की आवास प्लस की सूची के आधार पर तैयार स्थाई वरीयता सूची "आवास सॉफ्ट" पर अपलोड नहीं की गई है, जिसके अभाव में अभियान के दौरान वर्ष 21–22 की स्वीकृतियां जारी नहीं हो पायेंगे।

उक्त पुनः निर्देश है कि जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक वरीयता सूची ग्राम सभा से अनुमोदित नहीं हो सकी है, उन ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर, 2021 को प्रस्तावित ग्राम सभाओं से अनुमोदन प्राप्त कर निर्धारित प्रकियानुसार स्थाई ग्राम पंचायतवार वर्गवार वरीयता सूचीयों को "आवास सॉफ्ट" पर आवश्यक रूप से अपलोड कराना सुंनिश्चित करे, जिससे **"प्रशासन गांव के संग अभियान–2021"** के दौरान पात्र परिवारों को आवास स्वीकृति वितरीत हो सके।

(के.के. पाठक)
शासन सचिव

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–**
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

D:\kamal\1 Letter 2020 - 21.docx 245